निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 32/2022 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये शशि शेखर शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री पवन कुमार मीणा पुत्र श्री मंगल राम मीणा, निवासी– ढंड की ढ़ाणी, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर एवं हाल निवासी– 187, बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी, रामनगरिया, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 14 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा क्षमता (07 एचपीसी व 07 बीपीसी) मय 30.750 किग्रा एलपीजी गैस, 04 बांसुरी (01 पीतल एवं 03 लोहे की), 3 पाईप, 2 पाने, 1 प्लास, 1 नॉन आईएसआई मार्का का इलेक्ट्रॉनिक कांटा, इलेक्ट्रिक मोटर मय इलेक्ट्रिक वायर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 28.01.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.10.2022 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस के अवैध क्रय विक्रय, भण्डारण एवं गैस अन्तरण की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ 187, बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी, रामनगरिया जयपुर स्थित कन्हैयालाल मीणा के प्लॉट की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी पवन कुमार मीणा एवं शंकर राणा उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को के.एस. एन्टरप्राईजेज एचपी गैस एजेन्सी मालवीय नगर का हॉकर बताया। वक्त जांच मौके पर 14 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गए, जिनमें से 01 सिलेण्डर कांटे पर उल्टा रखा मिला, जिससे पाईप व मोटर के माध्यम से ऑटो में गैस रिफिल की जा रही थी। मौके पर जांच दल को देखकर ऑटो भाग गया। मौके पर जब्त 14 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान यथा बांसुरी, पाने, मोटर, पाईप व अन्य उपकरण को साक्ष्य मानकर अभियुक्तों से पुछताछ किए जाने पर उन्होने के.एस. एन्टरप्राईजेज गैस एजेन्सी एवं अन्य गैस एजेन्सी के हॉकर से मिलीभगत कर घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों के अवैध क्रय विक्रय, भण्डारण एवं ऑटो/अन्य वाहनों में 85/– रूपये प्रति किलों की दर से रिफिल करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में सह अभियुक्त श्री शंकर राणा डिलीवरीमैन के.एस. एन्टरप्राईजेज, गैस एजेन्सी, मालवीय नगर के बयान दर्ज किए गए, जिसके अनुसार अवैध कारोबार में उसकी संलिप्तता भी पाई गई। मौके पर की गई कार्यवाही व जांच अनुसार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस के अवैध क्रय विक्रय, भण्डारण एवं गैस अन्तरण हेतु उपयोग में लिया जाना पाया गया। मौके पर मैसर्स लक्ष्य इण्डन गैस एजेन्सी जगतपुरा के हॉकर श्री सुरेश कुमार को बुलाकर सिलेण्डर्स का तौल कराया गया एवं जब्तशुदा समस्त 14 घरेलू गैस सिलेण्डर्स

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मय 30.750 किलोग्राम गैस व अन्य समस्त सामग्री सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स लक्ष्य इण्डन गैस एजेन्सी जगतपुरा के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार को सुपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस के अवैध क्रय विक्रय, भण्डारण एवं गैस अन्तरण कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस तरह जब्तशुदा 14 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 30.750 किलोग्राम गैस, 04 बांसुरी, 02 पाना, 01 प्लास, 03 पाईप, 01 बिना आईएसआई मार्का गैर सत्यापित इलेक्ट्रोनिक कांटा व 01 इलेक्ट्रिक मोटर मय इलेक्ट्रिक वायर को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 31.10.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ, किन्तु आगामी पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच मौके पर 14 घरेलू गैस सिलेण्डर (07 एचपीसी व 07 बीपीसी) मय 30.750 किग्रा एलपीजी गैस, 04 बांसुरी, 02 पाना, 01 प्लास, 03 पाईप, 01 बिना आईएसआई मार्का गैर सत्यापित इलेक्ट्रोनिक कांटा व 01 इलेक्ट्रिक मोटर मय इलेक्ट्रिक वायर पाए गये है, जिनका अवैध क्रय विक्रय, भण्डारण एवं गैस अन्तरण संबंधित उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी से जरिये पुछताछ दर्ज बयान अनुसार उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को उपयोग वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिल किया जाना स्वीकार किया गया है। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका अवैध रूप से वाहनों में अन्तरण किया उपयोग किया जाना वर्जित है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस का अवैध क्रय विक्रय एवं वाहनो में अन्तरण किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का अवैध क्रय विक्रय किया जाकर अवैध रूप से वाहनों में गैस रिफिल/अन्तरण कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः 14 घरेलू गैस सिलेण्डर (07 एचपीसी व 07 बीपीसी) मय 30.750 किग्रा एलपीजी गैस एवं अन्य जब्त सामान को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

4. पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. अप्रार्थी द्वारा दर्ज बयान अनुसार स्वयं उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध क्रय कर वाहनों में गैस रिफिल/अन्तरण किया जाना स्वीकार किया गया है, जिससे अप्रार्थी की संलिप्तता स्वप्रमाणित है। मौके पर 14 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 30.750 किलोग्राम गैस, 04 बांसुरी, 02 पाना, 01 प्लास, 03 पाईप, 01 बिना आईएसआई मार्का गैर सत्यापित इलेक्ट्रोनिक कांटा व 01 इलेक्ट्रिक मोटर मय इलेक्ट्रिक वायर पाए गए है, जिससे घरेलू गैस के अवैध क्रय विक्रय एवं वाहनों में गैस रिफिल/अन्तरण किए जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 14 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 30.750 किग्रा एलपीजी गैस व जब्तशुदा अन्य सामान को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 14 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 30.750 किग्रा एलपीजी गैस व जब्तशुदा अन्य सामान को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 31.10.2022 को पारित किये जा चुके है, तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner